न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मन मोहन मीना , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 03/2022

उनवान

1 गिरधारी पुत्र भगवान सहाय, उम्र–65 वर्ष, जाति जाट, निवासी रामपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान

बनाम

1 गोपाल पुत्र नाथूदास
2 रामोतार पुत्र नाथूदास
3 साधुदास पुत्र भजनदास
4 मंगलदास पुत्र गिरधारीदास
5 राजेन्द्र कुमार पुत्र कालूदास
6 शिम्भूदयाल पुत्र कालूदास
7 सुरेश कुमार पुत्र कालूदास
समस्त जातियान स्वामी, निवासीयान रामपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
8 शाखा प्रबन्धक सिंडीकेंट बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
9 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0
10 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 7.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थी अपनी जोत में पहूंच के प्रयोजन के लिए खातेदारान अप्रार्थी सं0–01 लगा0 8 के खसरा नम्बर 599/0.06, 600/0.11 किता–2 रकबा 0.17 है0 वाकै ग्राम रामपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान की जोत में से नया मार्ग खोलने का आशय रखता है इसलिए प्रार्थी राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम सं0–03 की धारा–251 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर रहा है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमियां वाकै ग्राम रामपुरा, उपखण्ड–शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसमें रामपुरा से छापुडा खुर्द जाने वाली मुख्य सड़क जो दक्षिण से उत्तर की ओर खसरा नम्बर 706 में अवस्थित है के पूर्व दिशा में अप्रार्थी सं0–1 ता 3 की खातेदारी खसरा नं0–599/0.06 तथा अप्रार्थी सं–04 लगा0 7 की खातेदारी में खसरा नं0– 600/0.11 है0 स्थित है तथा अप्रार्थी सं0– 04 लगा0 7 व प्रार्थी के शामलाती खसरा नं0– 602/0.12 है0 वाकै ग्राम रामपुरा में हिस्सा 1/2 प्रार्थी का है तथा खसरा नम्बर 602/2478/0.10 है0 वाकै ग्राम रामपुरा गैर मु0 आबादी में प्रार्थी का हिस्सा 1/4 व शेष अप्रार्थी सं0–04 लगा0 7 व अन्य खातेदारान का है जबकि खसरा नं0– 603/0.17, 606/0.39, 609/0.63 किता– 3 रकबा 1.19 है0 प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 603 में पहूंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जबकि मुख्य सड़क के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 599 व 600 अप्रार्थीगण की खातेदारी में पड़ते हैं जो अनुमानित 35 मीटर लम्बाई में पड़ते हैं प्रार्थी की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 602 पड़ती है जिस बाबत प्रार्थी ने माननीय अदालत हाजा में एक बंटवारा का दावा उनवानी गिरधारी बनाम मंगलदास वगै0 मुकदमा नं0 26/2019 पेश कर रखा है जिसमें ता0 पेशी 24.02.2022 वास्ते आपत्ति कुर्रेजात मुकर्रर की गई है जिसमें खसरा नम्बर 602 में खसरा नं0– 599 व 600 की पूर्वी सीमा से प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक 602/1/0.01, 602/4/0.0250 गै0 मू0 रास्ता हेतु सामलाती भूमि रखी गई है जबकि मुख्य सड़क से खसरा नम्बर– 602, 603, 606 तक खसरा नम्बर– 599 व 600 में रास्ता सहमति से इकरारनामा दिनांक– 01.07.2019 द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य तहरीर व तकमील किया जाकर नोटेरी पब्लिक विमला ताखर एडवोकेट से रजि0 कमांक– 797/2019 पर प्रमाणित करवाया गया था जिसमें प्रार्थीगण ने खसरा नं0– 599 व 600 में से 2.44 मीटर (8 फीट) चौडाई व 32.8 मीटर लम्बाई में खसरा नं0– 602 की पश्चिमी सीमा तक प्रार्थी को दिया गया था तथा उसके एवज में बराबर जमीन प्रार्थी ने खसरा नम्बर– 603 की पश्चिमी दक्षिणी सीमा के लगते अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर– 597, 598 की पूर्वी सीमा के लगते उत्तर दक्षिण 36.5 मीटर लम्बाई व 2.20 मीटर चौडाई (80.3 वर्गमीटर) अप्रार्थीगण को दे दी गई थी तथा रास्ते के एवज की भूमि प्रार्थी से लेकर अपने खसरा नं0– 597, 598 में मिला ली है जबकि राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0– 599 व 600 में से 33 मीटर लम्बाई व 2.44 मीटर चौडाई (80.3 वर्गमीटर) में रास्ता अंकित नहीं करवाया है तथा प्रार्थी के पास खसरा नम्बर 602, 603, 606 वगै0 तक पहूंच हेतु कोई रास्ते का विकल्प भी नहीं है अप्रार्थी सं0 4 लगा0 7 प्रार्थी के सहखातेदार है जिनके मध्य बंटवारा का वाद विचाराधीन है शेष जोत तक रास्ता खसरा नम्बर 602 में से प्रस्तावित है व कुर्रेजात प्राप्त हो चुके है तथा ग्राम पंचायत भवन तक जाने का रास्ता भी खसरा नम्बर 599 व 600व 602 में से है तथा अप्रार्थी सं0– 1 लगा0 3 व ढाणी तक जाने का मुख्य रास्ता खसरा नं0– 599 व 600 में से है जबकि प्रार्थी अकेले ने रास्ते की भूमि के बदले भूमि दी है । खसरा नम्बर 599/0.06, 600/0.11 है0 किता– 2 रकबा 0.17 है0 वाकै

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

ग्राम रामपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जो खसरा नं0 602 व 603 की पश्चिमी सीमा के लगते हैं खसरा नम्बर 602 व 602 की पहुंच तक प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है । अन्त मे प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि 'प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन पत्र के साथ नक्शा में बरंग लाल स्याही से प्रदर्शित स्थान प्रस्तावित नया मार्ग खसरा नम्बर 599 की उत्तरी सीमा व खसरा नम्बर 600 की दक्षिणी सीमा पर खसरा नम्बर 602 तक 2.44 मीटर चौडाई व 32.8 वर्गमीटर लम्बाई में नया मार्ग खोले जाने की आज्ञा प्रदान करें।

अप्रार्थी सं0 1 लगा0 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की सहमति से दिनांक 01.07.2019 को इकरारनामा किया है जिसकी पालना प्रार्थी जानबूझकर नहीं कर रहा है इस कारण प्रार्थी खसरा नम्बर 599 व 600 में तथाकथित रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 606, 609 खसरा नम्बर 599 व 600 की पूर्वी सीमा से लगती हुई नहीं है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष राजस्व वाद सं0 26/2019 उनवानी गिरधारी लाल बनाम मंगलदास वगै0 से विचाराधीन है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के बाबत भी राजस्व वाद में रास्ता बाबत अनुतोष चाहा गया है इस कारण पूर्ववर्ती राजस्व वाद सं0 26/2019 के अंतिम निर्णय तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कार्यवाही धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथा बनवारी दास बद्रीदास, बंशीधर पुत्र सोहनदास, जगदीश पुत्र माधोदास, भींवाराम, अर्जुनलाल पुत्र हनुमानदास, रोहिताश पुत्र कानदास जाति स्वामी निवासी रामपुर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के मध्य प्रस्तुत प्रकरण में चाहे गये रास्ता, बंटवारा आदि के संबंध में आपसी सहमति से दिनांक 01.07.2019 को इकरारनामा लिखा गया था उक्त इकरारनामा की शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा नहीं की जा रही है उक्त बनवारी दास वगै0 को भी प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुना जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 602, 602/2478 में पहुँच मार्ग हेतु आराजी खसरा नम्बर 599 व 600 के बीच में से 5 मीटर रास्ता व ख0नं0 600 व 602 की सीमा पर 2.75 मीटर चौडा रास्ता मौके पर चालू है । ख0नं0 599 में 28*3 कुल 84 वर्गमीटर व ख0नं0 600 में से 28*2 व 1 * 10 कुल 66 वर्गमीटर तथा ख0नं0 602 में से 10*3 कुल 30 वर्गमीटर में से रास्ता चालू होना तथा दोनों तरफ मकान बने हुये होना बताया है । तहसीलदार शाहपुरा ने कुल 180 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की है । आराजी खसरा नम्बर 602 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती भूमि है तथा प्रार्थीगण के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 602 में से रास्ता नहीं चाहा गया है । वकील उभय प्रक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया ।·वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस जाहिर किया कि रास्ता तभी दिया जा सकता है जब इकरारनामा की सभी शर्ते माने तथा हमे भी आगे की भूमि में से रास्ता दिया जावे साथ ही वकील अप्रार्थी ने यह भी जाहिर किया कि रास्ता चालू है रास्ते को रोका नहीं गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन करने व वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता हेतु आवेदन किया गया है वह उचित है तथा मौके पर रास्ता चालू होने से प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच मार्ग हेतु तहसीलदार शाहपुरा द्वारा खसरा नम्बर 599 व 600 में प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा प्रस्तावित आराजी खसरा नम्बर 599 रकबा 0.06 है0 में से 28*3 कुल 84 वर्गमीटर व ख0नं0 600 रकबा 0.11 है0 में से 28*2 व 1*10 कुल 66 वर्गमीटर भूमि वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा डीएलसी दर की दो गुना राशि पर रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा वर्तमान मे प्रचलित डी एल सी दर से भूमि की कीमत का आकलन कर डीएलसी दर की दो गुना राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते का अमल दरामद किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 7/11/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर